


कार्यालय आदेश

शासकीय विज्ञप्ति संख्या- KA-NI-1014/ XI -9 (52)/ 17-UP.GST RULES-2017 -ORDER -(31)-2017 दिनांक 21-07-2017 द्वारा प्रदेश मे ई-वे बिल लागू किये जाने की व्यवस्था की गई थी। प्रश्नगत विज्ञप्ति कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश द्वारा फार्म डाउनलोडिंग प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जारी किये जाने वाले परिपत्र में निर्धारित तिथि से प्रभावी होने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में फार्म डाउनलोडिंग की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कम्प्यूटर परिपत्र संख्या--1718021 दिनांक 22-07-2017 जारी किया गया था तथा प्रश्नगत विज्ञप्ति के दिनांक 26-07-2017 से प्रभावी होने का प्राविधान किया गया था। ई-वे बिल की प्रश्नगत व्यवस्था के सम्बंध में व्यापारिक संगठनों , ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशनों आदि द्वारा इस व्यवस्था को कुछ समय के लिए स्थगित किये जाने की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त टैक्सटाइल , फैब्रिक्स आदि के डीलरों द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कपड़ा , फैब्रिक्स आदि वैट व्यवस्था के अन्तर्गत करमुक्त थे तथा जी0एस0टी0 में करयोग्य है। अतः कपड़ा व फैब्रिक के व्यापारियों को पंजीयन प्राप्त करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता है एवं तदनुसार उनके द्वारा ई-वे बिल व्यवस्था को अपनाने हेतु कुछ समय दिये जाने की मांग की गई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत विज्ञप्ति संख्या KA-NI-1014/ XI -9 (52)/ 17-UP.GST RULES-2017 -ORDER -(31)-2017 दिनांक 21-07-2017 के प्रभावी होने की तिथि दिनांक 26-07-2017 के स्थान पर दिनांक 16-08-2017 निर्धारित की जाती है। प्रश्नगत कम्प्यूटर परिपत्र संख्या--1718021 दिनांक 22-07-2017 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।




(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर , राज्य कर / वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य सचिव , वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर , वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा व्यापारी एवं अधिवक्ता संघों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।


कमिश्नर ,

राज्य कर / वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।